उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN,
LUCKNOW-226001

पत्रांक: 33 / उनिलि / प्रशि. / प्रशि0नीति / 2013 दिनांक : जनवरी 30, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों के विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित कॉनफ्रेंस / सेमीनार / कार्यशाला / अल्पावधि कार्यक्रमों में प्रतिभागिता हेतु एतद्द्वारा निम्न नीति निर्धारित की जाती है–

1. उन कार्यक्रमों में जो निगम मुख्यालय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त होंगे या निगम मुख्यालय द्वारा चयनित होंगे, पर निगम के उपयोगितानुसार विभिन्न ताप विद्युत गृहों से तथा निगम मुख्यालय से सर्वप्रथम नामित किये जाने हेतु नाम मंगाये जायेंगे। इसके उपरान्त अनुमोदन प्राप्त कर निगम मुख्यालय से कार्यालयादेश निर्गत किया जायेगा जिसके अनुसार सम्बन्धित ताप विद्युत गृह के नामित कार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे।
2. यदि ताप विद्युत गृह पर ऐसे किसी कार्यक्रम की सूचना किसी संस्था के माध्यम से प्राप्त होती है तो भी उपरोक्त प्रक्रिया ही अपनायी जायेगी। कोई भी निगम कार्मिक निगम मुख्यालय के अतिरिक्त सम्बन्धित ताप विद्युत गृह से बिना मुख्यालय के अनुमोदन के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता है।
3. किसी भी कार्यक्रम में एक इकाई से एक समय में अधिकतम एक या अत्यधिक आवश्यकतानुसार दो अधिकारी (सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता स्तर या अन्य संवर्ग के अधिकारी) भाग ले सकेंगे।
4. विशेष तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में तापीय परियोजनाओं पर कार्यरत् चिकित्साधिकारी कार्यशाला या सेमीनार में अपने मेम्बरशिप के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त इसकी प्रतिपूर्ति एवं कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र मुख्यालय को प्रस्तुत करते हैं जो सर्वथा उचित नहीं है। ऐसे प्रकरण पर मुख्यालय से कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी। अन्य शर्तें बिन्दु संख्या 1 से 3 के अनुसार इन्हें भी पहले अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. ताप विद्युत गृह एवं निगम मुख्यालय से कार्मिकों का नामांकन विषय की उपयोगिता के अनुसार एवं सम्बन्धित विषय के ज्ञाता का ही किया जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि नाम की पुनरावृत्ति न हो तथा प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित विषयों के कार्मिकों को अवसर प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित कर लिया जाये।
6. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्मिक कार्यशाला से वापिस आने के पश्चात् इसका प्रस्तुतिकरण सम्बन्धित ताप विद्युत गृह पर करते हुए अन्य कार्मिकों को भी उस ज्ञान से लाभान्वित करायें।

उपरोक्त के अनुपालन के साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिभागिता के पश्चात् कार्मिक द्वारा प्राप्त ज्ञानार्जन के प्रस्तुतिकरण की हार्ड कापी मुख्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 33 /उनिलि/प्रशि./प्रशि0नीति/2013 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, उनिलि, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निजी सचिव, निदेशक कार्मिक, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. निजी सचिव, निदेशक वित्त, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, कारपोरेट स्ट्रेटजी, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, वित्त, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, मानव संसाधन/पीपीएमएम/तापीय परिचालन/जानपद/ईंधन/ वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा, आर.एण्ड·एम., उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, उनिलि।
8. महाप्रबन्धक, चिकित्सा, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना चिकित्सालय, उनिलि।
10. कट फाइल।

30/1/2013.

(दिलीप कुमार ओझा)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण)